प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 935 सन 2021

अनवान :–

1. सरोज देवी पत्नी सत्यनारायण जाति जाट निवासी मझाउ तन सिगनोर तहसील उदयपुर वाटी जिला झुझनु ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15/40 के प0न0 317/379(40) के किला न0 16/0.2530हैक भूमि सयुक्त खाता में वादीया की खरीदशुद्वा खातेदारी 1/8 हिस्सा भूमि है।

रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15/40 के प0न0 317/379 (40) के किला न0 16/0.2530हैक भूमि भादरराम पुत्र देवीलाल के नाम से 1/8 हिस्सा दर्ज थी जिसे वादीया ने पुर्ण प्रतिफल दिया जाकर जरिये रजिस्टर बैयनामा दिनांक 15.12.2020 को खरीदी गई थी तभी से वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में विक्रेता के नाम से दर्ज है वादीया खरीदशुद्वा भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीया के द्वारा खरीद की गई भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीया के द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि को वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा जरिये रजिस्टर बैयनामा खरीद की गई भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अधिकारी है न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत किये अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15/40 के प0न0 317/379 (40) के किला न0 16/0.2530हैक भूमि भादरराम पुत्र देवीलाल के नाम से 1/8 हिस्सा दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीया का कथन है वादीया ने भादरराम पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर बैयनामा खरीद कर लिया है व अपने कथनों के समर्थन में बैयानामा की प्रति पेश की गई।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत बैयानामा के अनुसार वादीया ने भादरराम पुत्र देवीलाल के नाम रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15/40 के प0न0 317/379 (40) के किला न0 16/0.2530हैक्‍ भूमि भादरराम पुत्र देवीलाल के नाम से 1/8 हिस्सा दर्ज है को जरिये बेयानामा दिनांक 15.12.2020 को खरीद की गई है जो बैयनामा से पूर्णत्या साबित है।

वादीया के द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि को बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीया का वाद प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15/40 के प0न0 317/379 (40) के किला न0 16/0.2530हैक्‍ भूमि भादरराम पुत्र देवीलाल के नाम से 1/8 हिस्सा दर्ज है को कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट –फेफाना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सरोज देवी पत्नी सत्यनारायण जाति जाट निवासी मझाउ तन सिगनोर तहसील उदयपुर वाटी जिला झुझनु ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 935 सन 2021 निर्णय दिनांक– 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 15/40 के प0न0 317/379 (40) के किला न0 16/0. 2530हैक भूमि भादरराम पुत्र देवीलाल के नाम से 1/8 हिस्सा दर्ज है को कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– फेफाना

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner